



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082024-256630
CG-DL-E-24082024-256630

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 648]
No. 648]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 23, 2024/भाद्र 1, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 23, 2024/BHADRA 1, 1946

भारतीय भेषजी परिषद्

(भेषजी अधिनियम 1948 के अंतर्गत गठित)

कार्यकारिणी आदेश

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2024

फा. संख्या: 17-1(नोटिफिकेशन)/2023-पीसीआई/2698-3300.—भेषजी अधिनियम 1948 की उपधारा 15 की आवश्यकतानुसार उपधारा 12 के अंतर्गत भारतीय भेषजी परिषद् ने केन्द्रीय परिषद् की निम्नलिखित गोष्ठी में जो प्रस्ताव “अनुमोदित महाविद्यालयों” शीर्षक के अंतर्गत पारित किये हैं घोषणा करती है कि सभी स्टैकहोल्डरस जैसे संस्थान, परीक्षा प्राधिकरण, साधारण जनता, विद्यार्थी इत्यादि की सूचना हेतु परिषद् की वेबसाइट पर डाले गये हैं

क्रम

गोष्ठी संख्या

गोष्ठी की तिथि

1.

118

24 और 25 जनवरी 2024

प्रतिमा तिवारी, उपसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./417/2024-25]

PHARMACY COUNCIL OF INDIA
(Constituted Under Pharmacy Act, 1948)

EXECUTIVE ORDER

New Delhi, the 20th August, 2024

Ref. No. 17-1 (Notification)/2023-PCI/2698-3300.— “As required under section 15 of the Pharmacy Act, 1948, the declarations under section 12 made by resolutions passed at the following meeting of the Central Council are posted on Council’s website under heading “approved colleges” for information of all the stakeholders i.e. institutions, Examining Authorities, general public, students etc.”

<u>S.No.</u>	<u>Meeting No.</u>	<u>Date of meeting</u>
1.	118	24 th & 25 th January, 2024

PRATIMA TIWARI, Dy. Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./417/2024-25]